भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1464
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत कोष से धनराशि

†1464. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2023 से हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से और राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से केंद्रीय अंश के रूप में तथा अन्य केंद्रीय आपदा राहत योजनाओं के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई और ये किस उद्देश्य के लिए जारी की गई थी;

(ख) क्या सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और साथ ही क्या सरकार ने यह पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा अनुक्रिया कोष और अन्य संबंधित अंशदानों में अपने निर्धारित अंश का योगदान किया, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश में आपदा संबंधी जोखिम को कम करने के लिए स्वीकृत किए गए या विचाराधीन किसी विशेष वित्तीय पैकेज या शमन परियोजनाओं का उनकी समय-सीमा और लागू करने वाली एजेंसियों सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) हाल ही में 7 अक्तूबर, 2025 को बिलासपुर में हुई भूस्खलन घटना के दौरान जारी की गई तत्काल राहत राशि, अनुग्रह राशि, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूस्खलन की घटनाओं और ढलान को स्थिर बनाने के संबंध में किए जा रहे शोध, आपदा राहत एजेंसियों और मंत्रालय के अंतर्गत संस्थानों द्वारा वित्तपोषित या आधिकारिक रूप से स्वीकृत किए गए अन्य निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, अपने पास पहले से उपलब्ध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464, दिनांक 09.12.2025

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से, संबंधित जिला प्रशासनिक मशीनरी के स्थापित चैनल के माध्यम से, जमीनी स्थिति की गंभीरता के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करती हैं। ये मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ बिना किसी भेदभाव के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। हालाँकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुए/ दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए। पैकेज के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ की मौजूदा योजना के तहत, प्रभावित राज्य के लिए कोई विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2025-26 के दौरान अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से आवश्यक राहत के प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि(एनडीआरएफ) से निम्नलिखित राशि जारी की है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटन	एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा जारी	एनडीआरएफ से जारी		
			प्राकृतिक आपदाएँ	अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण	पीडीएनए (आर एंड आर)
2023-24	400.80	360.80	787.25	--	--
2024-25	420.00	378.40	66.924	17.64	--
2025-26 (04.12.2025 तक)	441.60	397.60	107.15	23.52	451.44

R &R = Recovery & Reconstruction.

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464, दिनांक 09.12.2025

शमन निधि के मामले में, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)/ राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्य सरकार को 2023-24 से 2025-26 के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की है:

(Rs. in crore)

वर्ष	एसडीएमएफ के अंतर्गत आवंटन	एसडीएमएफ में केंद्र का हिस्सा जारी	एनडीएमएफ से जारी	
			जीएलओएफ	एनएलआरएमपी
2023-24	100.20	42.80	--	--
2024-25	105.00	184.654	-	--
2025-26 (04.12.2025 तक)	110.40	49.70	9.45	37.50

जीएलओएफ = ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़
एनएलआरएमपी = राष्ट्रीय भूस्खलन शमन कार्यक्रम।

राज्य सरकार ने मिलान हिस्से के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है और पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एसडीआरएफ, एसडीएमएफ और एनडीएमएफ में अपने मिलान हिस्से का योगदान दिया है।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। एनडीआरएफ के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्वास निधि से सहायता का केंद्रीय हिस्सा 1504.80 करोड़ रुपये है। राज्य को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित राज्य बनाया गया है। राज्य के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य को 9.45 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी चिन्हित राज्य बनाया गया है। राज्य के लिए 139 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और राज्य को 37.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की जाँच के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा एक अध्ययन किया गया है। एनडीएमए की रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

*****